

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक 13981/एम.आई.एस./प्र.अ./लोस्वायांवि/2012

भोपाल, दिनांक 31/12/12

प्रति,

समर्पण कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खंड -----

विषय:-

विविदा आमंत्रण सूचना का समाचार पत्रों में प्रकाशन।

::

विभाग द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये विविदा सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में किया जाता है। विभाग द्वारा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जा रही निविदाओं का संपूर्ण विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। अतः समाचार पत्रों में इनका विस्तृत विवरण प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। इसी प्रकार एक समान कार्यों के लिये एक साथ आमंत्रित की गई विभिन्न निविदाओं की सूचना का प्रकाशन भी अलग-अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है।

पंतु प्रायः यह देखा गया है कि विभागीय कार्यालयों द्वारा निविदाओं सूचना के प्रकाशन में उक्त विन्दुओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। जिससे अनावश्यक शासकीय व्यय होता है। भविष्य में निविदाओं सूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन करने में निम्न विन्दुओं का ध्यान रखा जाये।

1. निविदा सूचना में कार्य का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया जाये।
2. निविदा सूचना में कार्यालय की निविदा सूचना क्रमांक, सिर्टम टेण्डर नंबर, कार्य की लागत, धरोहर साथि, निविदा प्रपत्र का मूल्य निविदा प्रपत्र कथ करने की अंतिम तारीख आवश्यक रूप से प्रकाशित की जाय।
3. एक समान कार्यों के लिये एक साथ जारी की गई निविदाओं हेतु एक ही निविदा सूचना प्रकाशित की जाय। ऐसी निविदा सूचनाओं में विभिन्न कार्यों के विवरण को सूचीबद्ध किया जाय।
4. ई-टेण्डरिंग के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली निविदाओं की संबंधित सूचनाओं पर स्पष्ट उल्लेखित किया जाय कि निविदाओं में भविष्य में होने वाले समर्पण संशोधनों को केवल विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा एवं इनका प्रकाशन समाचार पत्रों में नहीं किया जायेगा।

उक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(एन.के.सेहरा)

प्रमुख अभियंता का. ५
भोपाल, दिनांक 31/12/12

पृ.क्रमांक 13981/एम.आई.एस./प्र.अ./लोस्वायांवि/2012

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिषेन्ट-भोपाल/इंदौर/जबलपुर/बालियर वि.या. परिषेन्ट भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परि.मंडल ----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख अभियंता

का. ५